

**HPFD-F05/307/2024-FCA**

वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य  
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०।

प्रेषित: उप महा निरिक्षक, वन  
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),  
सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगबुड,  
शिमला, हिमाचल प्रदेश-1710001

दिनांक शिमला-1

विषय: **Diversion of 3.60 hectgare of forest land in favour of I & PH Department for the Augmentation of various Water Supply Schemes in tandi, Saroa, Tharjoon, Musrani, Bassi, Devdhar, Kharshi and Kotla in Gohar Block, within the jrisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (PNo. FP/HP/Water/43930/23020)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या 8B/HP/09/63/2020/FC दिनांक 13.10.2020 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्घातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

- 1<sup>ण</sup> वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 2<sup>ण</sup> परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

3<sup>ण</sup> **प्रतिपूरक वनीकरण:**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी०ए० के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर पौधों का रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) सी०ए० क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी संलग्न है।

(ग) वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

4<sup>ण</sup> प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण सीमाकन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप में जमा करा दी गई है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

5<sup>ण</sup> **शुद्ध वर्तमान मूल्य:**

क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख)शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।

- 6<sup>ण</sup> एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7<sup>ण</sup> Site suitability of CA site is attached herewith.
- 8<sup>ण</sup> राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह आदेश लागू नहीं होगा। राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में 08.02.2023 को जारी आदेशों का पालन किया जाएगा।
- 9<sup>ण</sup> प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।
- 10<sup>ण</sup> आस पास के क्षेत्रों के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- 11<sup>ण</sup> परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है।
- 12<sup>ण</sup> इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
- 13<sup>ण</sup> केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Lyaout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।
- 14<sup>ण</sup> वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्धता संलग्न है।
- 15<sup>ण</sup> प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- 16<sup>ण</sup> वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु उपोग नहीं किया जाएगा।
- 17<sup>ण</sup> केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन बद्धता की प्रति संलग्न है।
- 18<sup>ण</sup> केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन बद्धता की प्रति संलग्न है।
- 19<sup>ण</sup> इनमें से किसी भी शर्त का या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार की गई कार्यावाही मान्य है।
- 20<sup>ण</sup> पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के एवं विकास के लिए समय-समय पर निर्धारित शर्तें मान्य होगी।
- 21<sup>ण</sup> इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बद्धता संलग्न है।
- 22<sup>ण</sup> इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बद्धता संलग्न है।
- 23<sup>ण</sup> अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य  
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि०प्र०